



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 16.11.2025

**थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 107/2025 धारा 108 बीएनएस से
सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2025 धारा 108 बीएनएस में वाँछित अभियुक्त 1. शैतान सिंह पुत्र अवधेश निवासी विक्रमपुर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शैतान सिंह पुत्र अवधेश निवासी विक्रमपुर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

घटना का विवरण :- दिनांक 12.05.25 को वादी के पुत्र ने अपनी पत्नी व उसके प्रेमी शैतान सिंह उपरोक्त के प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस संबंध में वादी श्री वीरेन्द्र पुत्र चोखेलाल शाक्य निवासी भैसरी शिवारा खास थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ की तहरीर के आधार पर मा०न्या० के आदेश से दिनांक 06.07.2025 को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-107/2025 धारा-103(1)/238 बीएनएस में पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-103(1)/238 बीएनएस का लोप करते हुये धारा-108 बीएनएस की बढोत्तरी कर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शैतान सिंह पुत्र अवधेश निवासी विक्रमपुर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभि० शैतान सिंह उपरोक्त ने पूछने पर गलती की माफी मांगते हुए शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से अदालत में देना बताया।

अभियुक्त शैतान सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 107/2025 धारा 108 बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री नितिन चौधरी
2. उ०नि० श्री प्रमोद कुमार
3. का० अमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट- थाना मेरापुर

दिनांक - 16.11.2025

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 166/2025 धारा 65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो
एक्ट व 3(2)(V) SC/ST Act में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2025 धारा 65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST Act में अभियुक्त कल्लन उर्फ दलजीत पुत्र हीरेन्द्र उर्फ हीरा ठाकुर को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. कल्लन उर्फ दलजीत पुत्र हीरेन्द्र उर्फ हीरा ठाकुर निवासी ग्राम मुरान थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण- वादिनी ने थाना मेरापुर पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 166/2025 धारा 65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST Act बनाम कल्लन उर्फ दलजीत उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त कल्लन उर्फ दलजीत से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपने जुर्म की माफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त कल्लन उर्फ दलजीत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 166/2025 धारा 65(2) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST Act थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मेरापुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह
2. उ0नि0 श्री धनीराम
3. का0 सुमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।